

19<sup>8</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी शेष। अनेक बार निर्देश दिए जाने के बावजूद न्यायालय के निर्देशों की पालना में विफल रहने पर प्रकरण अदम तकमिल में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर नंबर से कम हो।



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली